



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 116 राँची, शुक्रवार,

12 फरवरी, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

10 फरवरी, 2021

संख्या:- 1/नीति-05-04/2020-261-- झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 89 की उपधारा 1 एवं उप धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा अधिसूचित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 439 दिनांक 02.03.2019, 2462 दिनांक 04.10.2019 एवं 711 दिनांक 19.05.2020 द्वारा यथा संशोधित “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018” में निम्नरूपेण और संशोधन करते हैं:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ -
 - यह नियमावली “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2021” कही जायेगी।
 - यह अधिसूचना संपूर्ण झारखंड राज्य क्षेत्र में लागू होगी।
 - यह नियमावली अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018” यथासंशोधित, जो इसके पश्चात मूल नियमावली कही जायेगी, के नियम 2 (xxxix) एवं 26 में संशोधन -

- (1) नियम 2 (xxxix) को विलोपित किया जाता है।
- (2) नियम 26 (i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है -
नियम 26(i). भारत निर्मित विदेशी शराब के उपर अधिरोपित की जाने वाली
उत्पाद कर की संरचना -

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	EDP प्रति केस (रु० में)	वर्तमान अधिरोपित उत्पाद कर	परिवर्तित उत्पाद कर
1	25 ⁰ UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	0-500	रु० 46.00/ बल्क लीटर	रु० 51.00/ बल्क लीटर
2	25 ⁰ UP की भारत निर्मित विदेशी शराबविहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	500 से अधिक एवं 750 तक	रु० 57.00/ बल्क लीटर	रु० 63.00/ बल्क लीटर
3	25 ⁰ UP की भारत निर्मित विदेशी शराबविहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	750 से अधिक एवं 1000 तक	रु० 64.50/ बल्क लीटर	रु० 71.50/ बल्क लीटर
4	25 ⁰ UP की भारत निर्मित विदेशी शराबविहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	1000 से अधिक एवं 1550 तक	रु० 68.00/ बल्क लीटर	रु० 76.00/ बल्क लीटर
5	25 ⁰ UP की भारत निर्मित विदेशी शराबविहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	1550 से अधिक एवं 3000 तक	रु० 77.00/ बल्क लीटर	रु० 85.00/ बल्क लीटर
6	25 ⁰ UP की भारत निर्मित विदेशी शराबविहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	3000 से अधिक एवं 5000 तक	रु० 80.00/ बल्क लीटर	रु० 88.00/ बल्क लीटर
7	25 ⁰ UP की भारत निर्मित विदेशी शराबविहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन इत्यादि)	5000 से अधिक	रु० 100.00/ बल्क लीटर	रु० 110.00/ बल्क लीटर

नियम 26(ii). भारत निर्मित बीयर पर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर एवं विदेशों से आयातित बीयर(मूल में बोतलबंद) पर अधिरोपित की जाने वाली परिवहन पास फी की संरचना -

क्र. सं.	बीयर का प्रकार	वर्तमान में अधिरोपित कर		परिवर्तित अधिरोपित कर	
		उत्पाद कर (भारत निर्मित बीयर)	उत्पाद परिवहन पास फी आयातित विदेशी बीयर (मूल में बोतलबंद) के लिए उत्पाद कर	उत्पाद कर (भारत निर्मित बीयर)	उत्पाद परिवहन पास फी आयातित विदेशी बीयर (मूल में बोतलबंद) के लिए उत्पाद कर
1	शून्य से 5% v/v तक शक्ति की बीयर	रु0 7.50/ बल्क लीटर	रु0 7.50/ बल्क लीटर	रु0 7.50/ बल्क लीटर	रु0 7.50/ बल्क लीटर
2	5% v/v से अधिक एवं 8%v/v तक की शक्ति की बीयर	रु0 14/ बल्क लीटर	रु0 14/ बल्क लीटर	रु0 15.40/ बल्क लीटर	रु0 15.40/ बल्क लीटर
3	8%v/v से अधिक शक्ति की बीयर	रु0 17.50/ बल्क लीटर	रु0 17.50/ बल्क लीटर	रु0 17.50/ बल्क लीटर	रु0 17.50/ बल्क लीटर

नियम 26 (iii). भारत में निर्मित Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB)/Brezzer पर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर एवं आयातित विदेशी LAB, ब्रीजर (मूल में बोतलबंद) के उपर अधिरोपित की जाने वाली परिवहन पास फी की संरचना -

क्र. सं.	Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB)/ब्रीजर का प्रकार	वर्तमान में अधिरोपित कर		परिवर्तित अधिरोपित कर	
		उत्पाद कर (भारत निर्मित LAB/ब्रीजर)	उत्पाद परिवहन पास फी (आयातित विदेशी LAB/ब्रीजर (मूल में बोतलबंद के लिए) उत्पाद कर	उत्पाद कर (भारत निर्मित LAB/ब्रीजर)	उत्पाद परिवहन पास फी (आयातित विदेशी LAB/ब्रीजर (मूल में बोतलबंद के लिए) उत्पाद कर
1	5% v/v से कम शक्ति की Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage(LAB)/Brezzer	रु0 7.50/ बल्क लीटर	रु0 7.50/ बल्क लीटर	रु0 7.50/ बल्क लीटर	रु0 7.50/ बल्क लीटर
2	5% v/v से अधिक, परंतु 8% v/v तक की शक्ति की Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage(LAB)/Brezzer	रु0 14/ बल्क लीटर	रु0 14/बल्क लीटर	रु0 15.40/ बल्क लीटर	रु0 15.40/ बल्क लीटर

नियम 26(iv). भारत में निर्मित वाइन (लिक्योर, शैम्पेन) पर अधिरोपित किया जाने वाला उत्पाद कर एवं विदेशों से आयातित (मूल में बोतलबंद) वाइन (लिक्योर, शैम्पेन) के उपर अधिरोपित की जाने वाली परिवहन पास फी की संरचना -

क्र. सं.	वाइन का प्रकार	वर्तमान में अधिरोपित कर		परिवर्तित अधिरोपित कर	
		उत्पाद कर (भारत निर्मित वाइन (लिक्योर, शैम्पेन के लिए)	उत्पाद परिवहन पास फी आयातित विदेशी वाइन, लिक्योर, शैम्पेन (मूल में बोतलबंद) के लिए	उत्पाद कर (भारत निर्मित वाइन (लिक्योर, शैम्पेन के लिए)	उत्पाद परिवहन पास फी आयातित विदेशी वाइन, लिक्योर, शैम्पेन (मूल में बोतलबंद) के लिए
1	शून्य से 15% v/v शक्ति तक की वाइन	रु0 15/बल्क लीटर	रु0 15/बल्क लीटर	रु0 17/बल्क लीटर	रु0 17/बल्क लीटर
2	15% v/v से अधिक शक्ति की वाइन	रु0 20/बल्क लीटर	रु0 20/बल्क लीटर	रु0 22/बल्क लीटर	रु0 22/बल्क लीटर

नियम 26 (v). भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की सभी शक्तियों के झारखंड राज्य में आयात के निमित्त अधिरोपित किया जाने वाला उत्पाद परिवहन पास फी -

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	वर्तमान में अधिरोपित परिवहन पास फी	परिवर्तित परिवहन पास फी
1	सभी प्रकार के व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोडका इत्यादि के लिए	रु0 110/बल्क लीटर	रु0 121/बल्क लीटर

नियम 26 (vi). देशी शराब/मसालेदार/Flavoured देशी शराब के उपर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर की संरचना -

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	वर्तमान में अधिरोपित उत्पाद कर प्रति बल्क लीटर	परिवर्तित उत्पाद कर प्रति बल्क लीटर
1	75 ⁰ UP की देशी/मसालेदार/Flavoured देशी शराब	रु0 1.70 प्रति बल्क लीटर	रु0 4.0 प्रति बल्क लीटर
2	60 ⁰ UP की देशी/मसालेदार/Flavoured देशी शराब	रु0 8.40 प्रति बल्क लीटर	रु0 8.40 प्रति बल्क लीटर
3	40 ⁰ UP की देशी/मसालेदार/Flavoured देशी शराब	रु0 14.10 प्रति बल्क लीटर	रु0 14.10 प्रति बल्क लीटर

(3) नियम 26 (vii) को विलोपित किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद ।
